

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जल पथ गांधी नगर, जयपुर।

क्रमांक: No. F25(50)ICDS/Computer/Rajposhan/2015/75236-572 दिनांक: 4-5-18

उप निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ
समस्त ।


बाल विकास परियोजना अधिकारी
समेकित बाल विकास सेवाएँ
समस्त ।

विषय:- राजपोषण पर माह अप्रैल 2018 का मानदेय बिल प्रोसेस नहीं करने बाबत ।

प्रसंग:-निदेशालय के पत्रांक एफ.2()बजट/मानदेय वृद्धि/ICDS/18/50710 दिनांक 03.04.18

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में मानदेय कर्मियों के बढ़े हुए मानदेय के स्लेब को विभागीय राजपोषण साफ्टवेयर में अपडेट करने का कार्य किया जा रहा है।

अतः माह अप्रैल-2018 पेड मई-2018 के मानदेय बिल अग्रिम आदेश तक राजपोषण पर प्रोसेस नहीं करें। माह मार्च-2018 व इससे पूर्व के बकाया मानदेय बिल दिनांक 07.05.18 तक बनाकर कोषालय से पारित कराया जाना सुनिश्चित करें। जिससे कि अपग्रेडेड राजपोषण साफ्टवेयर को लागू किया जा सके।



(बिन्दु करुणाकर)
अतिरिक्त निदेशक (II)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर।

No.F25 (50)ICDS/Computer/RajPoshan/Partfile/2015/
75573-74

Jaipur, dated: 4-5-18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 व.निजि सहायक, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ, राज., जयपुर।
- 2 वित्तीय सलाहकार, समेकित बाल विकास सेवाएँ, राज., जयपुर।


एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक)
समेकित बाल विकास सेवाएँ